

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन (National Conference / Symposium / Seminar) में भाग लेने / शोध पत्र प्रस्तुत करने के वित्तीय सहायता के संबंध में जारी अधिसूचना :-

विषयांतर्गत विश्वविद्यालय की अनियत अनुदान समिति (Unassigned Grant Committee) की बैठक दिनांक 06.01.2017 में राष्ट्रीय अधिवेशन (भारत के भीतर) में भाग लेने / शोध पत्र प्रस्तुत करने के वित्तीय सहायता हेतु समिति के सदस्यों द्वारा इस संबंध में विचार कर यह निर्णय लिया गया है :-

01. एक ही अध्ययनशाला में यदि समान राष्ट्रीय संगोष्ठी /सिम्पोजिया/अधिवेशन में एक ही समय में यदि एक से अधिक प्रतिभागियों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो एक समय में अधिकतम 02 युवा वैज्ञानिक (Young Scientist) को वरिष्ठता के आधार पर ही अनुदान स्वीकृत किया जावेगा ।
02. यू०जी०सी० मद से यात्रा अनुदान प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय संगोष्ठी / सिम्पोजिया /अधिवेशन में भाग लेने एवं शोध पत्र प्रस्तुत करने की सक्षम स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा ।
03. यू०जी०सी० से प्राप्त यात्रा अनुदान / संगोष्ठी / कार्यशाला हेतु प्राप्त अनुदान अग्रिम राशि को उसी वित्तीय वर्ष में समायोजन किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कि यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान का समय पर समायोजन किया जा सके ।

आदेशानुसार

सही

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी(अनु०प्रको०)